FORM NO.III
फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत :– जिला कलेक्टर पाली

अपीलांटः– बनाम रेस्पोडेन्ट :–

श्री किशोर कुमार पुत्र ताराराम घांची निवासी 74, टिम्बर मार्केट, समुरपेर, जिला पाली

लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) पाली

किस्म मुकदमा RTI APPEAL-- 70 / 2019
R.C.M.S. No. --2019/00157
अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8/7/19	अपीलांट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) पाली ने उनके द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जाने से अपील न्यायालय में पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोडेन्ट अपना पक्ष रखने हेतु तलब होकर एवं सूचना अपीलाण्ट को दी जाकर पत्रावली दिनांक 24/7/19 को पेश हो। जिला कलेक्टर, पाली	940-41 10.7.19
24/7/19	अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया गया। इसके लिए लोक सूचना अधिकारी D.S.O. पाली को निर्देशित कराने का उल्लेख किया है। इस न्यायालय द्वारा जारिए पत्रांक 940-41 दि0 10-7-19 के लिखा जाने पर लोक सूचना अधिकारी (DSO) पाली ने इस न्यायालय को पत्र लिखकर अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना अलग2 लोक सूचना अधिकारीयो से सम्बन्धित होने से उन सभी को अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र की प्रतियां प्रेषित कर सूचना सीधे ही आवेदक को उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है। उक्त पत्र की प्रति भी अपीलांट को प्रेषित की गई। इस कारण से वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी (DSO.) पाली से सम्बन्धित नहीं होने से अपील अपीलांट निस्तारित करने हेतु निवेदन किया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट drop की जाती है। पत्रावली इस न्यायालय से शुमार फैसल की जाकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति व DSO के पत्र की प्रति अपी0 को सूचनार्थ प्रेषित की जावे। जिला कलेक्टर, पाली	